ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत लठियाणी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जोगिन्दर कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजेश कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	44.74
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.17
3)	7.2	मोबाइल टावर शुल्क की वसूली न करना	0.20
4)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.12
5)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	1.01
6)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.72
7)	8.3	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.06
8)	9.1	माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	10.63
9)	9.2	15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष से मजदूरी के रूप में अधिक / अनियमित भुगतान	0.14

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
2.	पैरा-4	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
3.	पैरा-4.1	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
4.	पैरा-5	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
5.	पैरा-6 (क व ख)	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
6.	पैरा-6 (ग)	अनिर्णीत।	

7.	पैरा- 7 (i व ii)	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
8.	पैरा-8	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
9.	पैरा-9	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-13	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
14.	पैरा-14	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
15.	पैरा-15	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
16.	पैरा-16	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
17.	पैरा-17 (I व ii)	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
18.	पैरा-18	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)
19.	पैरा-19	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णीत)

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्बश्री देव राज व अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 15.02.2024 से 26.02.2024 तक ग्राम पंचायत लठियाणी के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	02/2022	02/2022
2022-23	02/2023	09/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध

न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 143/2024 दिनांक 26/02/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित लठियाणी के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 555906 दिनांक 27/02/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत लठियाणी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130/2024 दिनांक 15.02.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (Online) (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2021-22	2500537.81	5002717	7503254.81	3666526	3836728.81
1	2022-23	3836728.81	7867168	11703896.81	7229871	4474025.81

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत लठियाणी के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर शून्य था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	4474025.81
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष (**परिशिष्ट क**-1)	**4473856.81**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	**169.00**
4)	**योग (2+3)**	**4474025.81**
5)	**अन्तर (4-1)**	**0.00**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार था (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB LATHIANI	20157009040	2156507
2	KCCB LATHIANI	50050802752	63917.00
3	UCO BANK LATHIANI	11890110055571	2253432.81
4	KCCB LATHIANI	50071419255	0.00
		योग	**4473856.81**
		हस्तगत राशि	**169.00**
		योग (1+2)	**4474025.81**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | जिसके कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130/2024 दिनांक 15.02.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 01 दिनांक 26/02/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹44.74 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130/2024 दिनांक 15.02.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹4474025.81 की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130/2024 दिनांक 15.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनांक 26/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव, अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 01 दिनांक 26/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.17 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत

सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130/2024 दिनांक 15.02.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 01 दिनांक 26/02/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹17210/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2021-22	54630	21380	76010	54235	21775
2022-23	21775	43930	65705	48495	17210

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 मोबाइल टावर शुल्क ₹0.20 लाख की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130/2024 दिनांक 15.02.2024 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट -ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को **निम्न विवरणानुसार** मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹**20000/-** वसूली हेतु शेष थी, जिसे सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 व Right of Way Policy – 2021 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या: DIT-FO5(23)/1/2017-I.T. Section –GOHP, दिनांक 09.02.2021 के अनुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है। अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | अत: मोबाईल टावरों

के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए :-

क्रम संख्या	**कम्पनी का नाम**	**दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)**
1	BSNL	5000
2	AIRTEL	5000
3	JIO	5000
4	AIRCEL	5000
	कुल योग	**20000**

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.12 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹11650/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2021-22	6650
2	2022-23	5000
	योग	**11650/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 139/2024 दिनांक 26.02.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 3 दिनांक 26/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/- की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा 30 दिन के विलम्ब के पश्चात् दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान **निम्न वर्णित** मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹400/- की कम वसूली गई थी :-

क्रम संख्या	**नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण की तिथि**	**वसूली योग्य राशि (₹)**	**वसूली गई राशि (₹)**	**कम वसूली गई राशि (₹)**
1	राहुल शर्मा	11/11/21	21/12/21	400	200	200
2	अंकित कुमार	02/05/22	10/06/22	400	200	200
					कुल योग	**400**

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 138/2024 दिनांक 26.02.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 26/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली रसीद संख्या 1375 से 1376 दिनांक 26/02/2024 द्वारा कर ली गई है, जिसे राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹1.01 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **₹100607/-** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 137/2024 दिनांक 26.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 26/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित)
1	15 FC	8	02/22	1230 पेवर @10.90 प्रति पेवर	13407
2	15 FC	13	02/22	4000 पेवर @10.90 प्रति पेवर	43600
3	15 FC	24	02/22	2000 पेवर @10.90 प्रति पेवर	21800

4	VKVNY	8	02/22	2000 पेवर @10.90 प्रति पेवर	21800
योग					**100607/-**

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.72 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 02/2022 व 09/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹72094/-** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 140/2024 दिनांक 26/02/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 26/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास क्री अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹72094/-** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.3 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के चयनित माह 09/2022 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट** ङ पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹300526/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹6010.52** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**चयनित माह**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**राशि (₹)**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)**
1	09/2022	श्री सुख देव शर्मा गांव वलियारा	300526	6010.52 (2% x 300526)
			योग	**6010.52/-**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144/2024 दिनांक 26/02/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03 दिनांक 26/02/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र

में वर्णित ₹**6010.52** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 ₹10.63 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 02/2022 व 09/2022 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹1063482/-** का भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**माह**	**कार्य का नाम**	**मस्ट्रोल संख्या / वाउचर संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि (₹)**	**माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	02/22	C/O REPAIR OF LINK ROAD H/O DHYAN CHAND TOWARD H/O AMRIT LAL	CRF/2022-23/P/2	सीमेंट	36502	---
2	मनरेगा	02/22	C/O ROAD AND PULLY SIDH CHANO TEMPLE TO ABADI KULDEEP KUMAR VILL. JALGRAN	8196 (16/01/22 TO 30/01/222)	मजदूरी	3045	1048 27 TO 31
3	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD NEAR CHAHRU KUHAN TO	56657,56658, 57,58,59,60, 61 DTD.	निर्माण सामग्री रेत, बजरी इत्यादि	995315	---

			GUGA MANDIR	01/09/22			
4	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD NEAR CHAHRU KUHAN TO GUGA MANDIR	2236 (21/08/22 TO 30/08/22)	मजदूरी	8480	1048 35-39
5	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD NEAR CHAHRU KUHAN TO GUGA MANDIR	2582 (03/09/22 TO 15/09/22)	मजदूरी	20140	1048 35-39
					कुल योग	**1063482/-**	

उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 141/2024 दिनांक 26/02/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 26/02/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9.2 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष से ₹0.14 लाख का मजदूरी के रूप में अधिक / अनियमित भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 09/2022 में मनरेगा + 15वें वित्तायोग शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य C/O MOKSH DHAM VILL. HERU GP LATHIANI हेतु प्रयोग किए गए मस्ट्रोल संख्या 9572, 115092, 171, 1593, 115100, 1997, 113954, 2235, 2580, 113958 व 113970 द्वारा ₹7917, ₹3114, ₹1696, ₹19080, ₹7920, ₹20776, ₹16632, ₹14628, ₹10812, ₹3564 व ₹32088/- कुल ₹138227/- का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया, जबकि उक्त मस्ट्रोलों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 1048 के पृष्ठ संख्या 41 से 45 पर ₹123761/-पाया गया अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा ₹14466/-

(138227-123761) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया था | अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 142/2024 दिनांक 26/02/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03 दिनांक 26/02/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 131/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 02 दिनांक 26/02/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 **प्रत्यक्ष सत्यापनः-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130/2024 दिनांक 15.02.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 01 दिनांक 26/02/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्षः-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

10 JUN 2024

2430-2434 का0 /50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)6/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

10 JUN 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0 /50

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत लठियानी, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

संकलित वित्तीय स्थिति

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	2500537.81	5002717	7503254.81	3666526	3836728.81
2	2022-23	3836728.81	7867168	11703896.81	7229871	4474025.81

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लठियाणी
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान (15वें वित्तायोग सहित समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	2500537.81	3627858	6128395.81	2291667	3836728.81
2	2022-23	3836728.81	3852559	7689287.81	3215262	4474025.81

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	0	242453	242453	242453	0

मनरेगा (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	0	1374859	1374859	1374859	0
2	2022-23	0	3772156	3772156	3772156	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लठियाणी
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4 का अंतशेष	4474025.81
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**4473856.81**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	**169.00**
4)	**योग (2+3)**	**4474025.81**
5)	**अन्तर (1-4)**	**0.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लठियाणी
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प.)

परिशिष्ट 'क-1' (पैरा 4 ख में सन्दर्भित)

दिनांक 31.03.22 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि ₹
1	KCCB LATHIANI	20157009040	2156507
	KCCB LATHIANI	50050802752	63917.00
	UCO BANK LATHIANI	11890110055571	2253432.81
	KCCB LATHIANI	50071419255	0.00
		योग	**4473856.81**
2		**हस्तगत राशि**	**169.00**
		योग (1+2)	**4474025.81**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लठियाणी
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ख'   पैरा संख्या 7.1 क में सम्बन्धित

ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	54630	21380	76010	54235	21775
2022-23	21775	43930	65705	48495	17210

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लठियाणी
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ग'   पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित

Statement of outstanding Balance of Mobile Towers as on 31.03.2023

2021-22

Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2021	Due for the year 2021-22	Total	Rental realized during 2021-22	Outstanding as on 31.03.2022
1	BSNL	00	5000	5000	00	5000
2	AIRTEL	00	5000	5000	00	5000
3	JIO	00	5000	5000	00	5000
4	AIRCEL	00	5000	5000	00	5000
	Total		**20000**	**20000**	**00**	**20000**

नोट:- दिनांक 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत द्वारा मोबाइल टावरों के शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिस कारण दिनांक 01.04.2021 को विगत मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष था, की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी।

2022-23

Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2022	Due for the year 2022-23	Total	Rental realized during 2022-223	Outstanding as on 31.03.2023
1	BSNL	5000	00	5000	00	5000
2	AIRTEL	5000	00	5000	00	5000
3	JIO	5000	00	5000	00	5000
4	AIRCEL	5000	00	5000	00	5000
	Total	**20000**	**0**	**20000**	**0**	**20000**

Note: - Annual Demand for 2022-23 is nil due to the clause 6 (G) of chapter 2 of right of way policy, 2021 notified by I.T Department Government of Himachal Pradesh vide Notification No. I.T (F)1-1/2020 dated 09-02-2021. It is also certified that no Mobile Tower has been installed on the land of Gram Panchayat.

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लठियाणी
वि.ख. [illegible] जि. ऊना (हि.प.)

पैरा संख्या 4.2 में सन्दर्भित

परिशिष्ट 'ख'

ग्राम पंचायत लठियाणी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना

क्र.स.	योजना	वाउचर संख्या	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	दर प्रति टन	देय रॉयलटी
1	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	9	Feb-22	निर्माण रास्ता गांव राजली बनियाला H/O प्रमोद सिंह	25	11-01-2022	सुखदेव शर्मा	SAND	6.51	1.62	10.546	80	843.696
								AGG.	9.62	1.52	14.622	80	1169.792
2	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	14	Feb-22	निर्माण लिंक रोड कोडरा रोड से प्रीतम सिंह के घर तक	27	17-01-2022	सुखदेव शर्मा	SAND	11.32	1.62	18.338	80	1467.072
								AGG.	8.49	1.52	12.905	80	1032.384
3	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	26	Feb-22	निर्माण रास्ता GSSS लठियाणी से शौचालय की और	29	27-01-2022	सुखदेव शर्मा	SAND	7.36	1.62	11.923	80	953.856
								AGG.	12.46	1.52	18.939	80	1515.136
4	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	29	Feb-22	निर्माण एम्बुलेंस रोड सोहारी सड़क से हंसराज के घर की और	30	27-01-2022	सुखदेव शर्मा	SAND	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
								AGG.	11.32	1.52	17.206	80	1376.512
5	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	6	Feb-22	निर्माण लिंक रोड कोडरा रोड से आबादी निर्मल सिंह	26	15-01-2022	सुखदेव शर्मा	SAND	22.65	1.62	36.693	80	2935.44
								AGG.	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
6	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	43	Sep-22	निर्माण शोक पिट गांव लठियाणी	2	15-01-2022	राकेश कुमार	AGG.	5.5	1.52	8.36	80	668.8
7	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	44	Sep-22	निर्माण शोक पिट गांव लठियाणी	323	14-07-2022	कश्मीर लाल	SAND	2.5	1.62	4.05	80	324
								AGG.	39.64	1.52	60.253	80	4820.224
		शून्य		निर्माण लिंक नियर			सुखदेव शर्मा						

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लठियाणी

परिशिष्ट ङ   पैरा संख्या 4.3 में सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 के चयनित माह 09/2022 में श्री सुख देव शर्मा को किए गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनाकं	राशि (₹)
1	सुखदेव शर्मा गांव वलियारा	शून्य	09/22	56	27/05/22	48062
2	सुखदेव शर्मा गांव वलियारा	शून्य	09/22	57	08/06/22	49257
3	सुखदेव शर्मा गांव वलियारा	शून्य	09/22	58	17/06/22	47960
4	सुखदेव शर्मा गांव वलियारा	शून्य	09/22	59	20/06/2022	35347
5	सुखदेव शर्मा गांव वलियारा	शून्य	09/22	60	23/06/22	48062
6	सुखदेव शर्मा गांव वलियारा	शून्य	09/22	61	30/06/22	49155
7	सुखदेव शर्मा गांव वलियारा	शून्य	09/22	62	30/06/22	22683
					योग	**300526**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लठियाणी
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)